

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/2871 /

जबलपुर, दिनांक 24/06/2019

श्रीमति पल्लवी सिन्हा, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication, Bhopal से मान्यता प्राप्त Rajeev Gandhi Institute of Science and Technology, Jabalpur" से पी.जी.डी.सी.ए. सत्र 2019-20 एक वर्षीय पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)

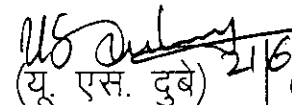
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/2872 /

जबलपुर, दिनांक 24/06/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्रीमति पल्लवी सिन्हा, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(यू. एस. दुबे) 21/6/2019
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.


उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/2873/

जबलपुर, दिनांक 24/06/2019

श्री अमिताभ रंजन, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication, Bhopal से मान्यता प्राप्त Rajeev Gandhi Institute of Science and Technology, Jabalpur" से पी.जी.डी.सी.ए. सत्र 2019-20 एक वर्षीय पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(राजेन्द्र कुमार)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/2874/

जबलपुर, दिनांक 24/06/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
 3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. श्री अमिताभ रंजन, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(यू. एस. दुबे)

रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.

रिज